

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

भूमि का प्रकार — आवासीय फ्लैट।
वार्ड परगना — हरीपर्वत वार्ड, तहसील व जिला आगरा।
ग्राम मौहल्ला — कैलाश टावर, मौजा ककरैठा तहसील व जिला आगरा

सम्पत्ति का विवरण — एक किता फ्लैट नं० जो तल का है जो प्लॉट नं० 7 व 8 पर निर्मित है जिसका बिल्डअप ऐरिया वर्ग मीटर है जो कुल कवर्ड है जो मि० खसरा नं० 356 में से है वाकै कैलाश टावर, मौजा ककरैठा, तहसील व जिला आगरा जो साथ लगे नक्शे में व रंग लाल से जाहिर किया गया है। निम्न सीमाकिंत :-

:- सीमाएं :-

पूरब —
पश्चिम —
उत्तर —
दक्षिण —

अन्य विवरण — विक्रीत फ्लैट तल का है जो 3 मंजिला इमारत में से है। उक्त इमारत आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से कैलाश टावर के नाम से स्वीकृत है जिसका ले आउट वजरिये पत्रावली संख्या 1236/बी.एफ.एच./11/012 दिनांक 11.02.2013 के स्वीकृत है में से हैं। जिसकी जमीन पर नियमानुसार स्टाम्प /- रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अदा किया गया है व कवर्ड पर स्टाम्प /- रुपया प्रति वर्गमीटर है। उक्त काम्पलैक्स में कुल जमीन का क्षेत्रफल 664.85 वर्ग मीटर है तथा उक्त काम्पलैक्स में कुल कवर्ड ऐरिया 1376.24 वर्गमीटर है जिसके अनुसार विक्रीत भवन का अविभाजित जमीन का अंश वर्ग मीटर है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प उपरोक्तानुसार अदा किया गया है तथा उक्त कॉम्पलैक्स का सर्किल रेट उपनिबन्धक प्रथम के यहाँ प्रारूप 2 पेज नं० 3 पर अंकित है तथा उक्त कॉम्पलैक्स की जमीन कार्नर व पार्क फेस की नहीं है तथा कॉमन सुविधाओं का 10 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प अदा किया गया है और उक्त इमारत 9 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है।

प्रतिफल की धनराशि — /-रुपया।
सरकारी मालियत — /-रुपया।
सर्किल रेट जमीन — /-रुपया प्रति वर्ग मीटर
सर्किल रेट कवर्ड — /-रुपया प्रति वर्ग मीटर
स्टाम्प तादादी — /-रुपया।

नाम विक्रेता -

कैलाश हाउसिंग (PAN AANFK5809Q) कार्यालय ए/20, आनन्द बिहार, बल्केश्वर, आगरा द्वारा पार्टनर श्री गोविन्द प्रसाद मित्तल पुत्र श्री ताराचन्द मित्तल निवासी 36, सीताराम कॉलोनी, बलकेश्वर रोड, आगरा एवं पार्टनर कैलाशचन्द सिंघल पुत्र श्री मेवाराम सिंघल निवासी ए/20, आनन्द बिहार, बल्केश्वर, आगरा (Mo.)

.....प्रथम पक्ष

नाम क्रेता -

(PAN

.....) (Mo.) द्वितीयपक्ष

जो कि उक्त जमीन व तादाद 736.30 वर्ग मीटर के मालिक लेखराज व कप्तान सिंह व मटरेसिंह पुत्रगण श्री पूरन सिंह व सियाराम पुत्र श्री फतेहसिंह खुद व वहैसियत वली व सरपरस्त चि. बृजभान व चि. राजेन्द्र व चि. छोटेलाल नाबालिगान पिसरान स्व० श्री फतेहसिंह विरादरान हकीकी खुद व भोंदू सिंह पुत्र स्व० श्री फतेहसिंह मौसूफ जुमला साकिन ककरैठा, तहसील व जिला आगरा थे और लेखराज आदि ने उक्त जमीन को बेचने की बावत एक नोटिस नं० 183/80-81 दिनांक 08.09.1980 को सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण आगरा से प्राप्त किया और उक्त जमीन में से जमीन व तादाद 193.97 वर्ग गज जमीन का बैनामा लालाराम पुत्र श्री देवीराम निवासी खटीकपाड़ा, तहसील व जिला आगरा के हक में दिनांक 25.05.1981 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 2700 के सफा 223/227 में नं० 5801 पर दिनांक 12.08.1981 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है व 381.36 वर्ग गज का बैनामा नानूराम पुत्र श्री दाताराम निवासी खटीकपाड़ा, तहसील व जिला आगरा के हक में दिनांक 25.05.1981 तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 2700 के सफा 233/237 में नं० 5803 पर दिनांक 12.08.1981 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है व 224.84 वर्ग गज का बैनामा बैनीप्रसाद पुत्र श्री मखन लाल निवासी खटीकपाड़ा, तहसील व जिला आगरा के हक में दिनांक 25.05.1981 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 2700 के सफा 248/252 में नं० 5806 पर दिनांक 12.08.1981 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है। वादहू उसके बैनीप्रसाद उक्त ने अपनी उक्त जमीन व तादाद 224.84 वर्ग गज का विक्रय पत्र लालाराम के हक में दिनांक 29.07.1986 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 3417 के सफा 63/64 में नं० 1348 पर दिनांक 30.01.1987 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है। इस प्रकार लालाराम जमीन व तादाद 414 वर्ग गज के मालिक हुये और लालाराम उक्त ने अपनी उक्त जमीन व तादाद 414 वर्ग गज का बैनामा बंशलाल यादव पुत्र स्व० श्री रतीराम यादव निवासी ग्राम ककरैठा, तहसील व जिला आगरा के हक में दिनांक 13.01.2006 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 5463 के सफा 51/88 में नं० 138 पर दिनांक 13.01.2006 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है और नानूराम ने अपनी जमीन व तादाद 381.36 वर्ग गज का बैनामा बंशीलाल यादव उक्त के हक में दिनांक 13.01.2006 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 5463 के सफा 1/36 में नं० 136 पर दिनांक 13.01.2006 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है वादहू उसके बंशीलाल यादव ने उक्त जमीन व तादाद 381.36 वर्ग गज का बैनामा प्रथमपक्ष उक्त फर्म के हक में दिनांक 09.07.2012 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 7896 के सफा 63/82 में नं० 3525 व दोयमी जमीन व तादाद 414 वर्ग गज का बैनामा दिनांक 09.07.2012 को तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 7896 के सफा 83/110 में नं० 3526 पर दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है। इस प्रकार फरीक अव्वल उक्त फर्म कुल जमीन व तादाद 795.18 वर्ग गज की मालिक हुयी

और उक्त जमीन क्रय करने के पश्चात् उस पर विक्रेता उक्त फर्म ने कैलाश टावर का ले आउट प्लान आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से पत्रावली संख्या 1236/बी.एफ.एच. /11/012 दिनांक 11.02.2013 के स्वीकृत कराया है जिसमें उक्त फर्म ने उक्त 3 मंजिला इमारत निर्माण का कराया है और विक्रेता उक्त फर्म उक्त इमारत की तनहा मालिक काबिज व दखील है और विक्रेता उक्त फर्म का पार्टनर है और उसको वहैसियत पार्टनर उक्त फर्म के उक्त फर्म की सम्पत्ति के रहन वैय करने के जुमला अधिकार तनहा हासिल है सिवाय उक्त फर्म के अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा उक्त बहुमंजिलीय इमारत में नहीं है जो माने किसी प्रकार के इंतकाल वगैरा का हो और उक्त इमारत आज तक हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों वगैरा से कतई तौर पर पाक व साफ है तथा उक्त बहुमंजिलीय इमारत आज तक किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग के अन्तर्गत बन्धक नहीं है और न ही उक्त इमारत की जमीन राजकीय आस्थान या नजूल या ग्राम सभा की भूमि है जो पूर्ण रूप से पाक व साफ है। अब विक्रेता को वहैसियत पार्टनर उक्त फर्म के उक्त फ्लैट मय इण्टीरियर जिसका पूर्ण विवरण ऊपर दर्ज है का विक्रय करना मिलने माकूल कीमत के मंजूर है।

लिहाजा विक्रेता ने वहैसियत पार्टनर उक्त फर्म के उक्त फ्लैट मय इण्टीरियर के अपनी राजी व खुशी से विला बहकाये व सिखाये विला दबाव किसी नाजायज के विल एवज मुवलिंग रुपया कि जिसके आधे रुपया होते हैं बदस्त

..... द्वितीयपक्ष क्रेता को वैय कतई किया और बेच दिया कीमत का कुल रुपया विक्रेता उक्त फर्म ने क्रेता से हस्व तफसील जैल प्राप्त कर लिये हैं और अब विक्रेता उक्त फर्म का क्रेता से कीमत में कुछ पाना शेष नहीं रहा और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल वाकई खाली फ्लैट मजकूर पर आज की तारीख से विक्रेता उक्त फर्म ने क्रेता को दे दिया है और विक्रेता उक्त फर्म ने क्रेता को आज के बाद उक्त फ्लैट तनहा मालिक काभिल व दखील बना दिया। अब क्रेता को अधिकार है कि वह विक्रीत फ्लैट से वहैसियत मालिक चाहे जैसे लाभान्वित होवे और रहन व वैय व हिवा आदि जो चाहे सो करे व उससे फायदा उठावे। कुल अख्यारात निस्वत फ्लैट मजकूर तनहा क्रेता को हक मालिकाना हासिल है और आयंदा रहेगें तथा क्रेता अपने नाम का दाखिल खारिज विक्रीत फ्लैट पर वहैसियत मालिक दर्ज करा ले। इसमें विक्रेता उक्त फर्म को कोई उज्र नहीं होगा।

यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन लिखा गया है।

1. यह है कि विक्रेतागण ने 'परिशिष्ट अ' में वर्णित आवासीय निर्माण व परिशिष्ट ब में वर्णित खुले क्षेत्र (ओपिन स्पेस) व सार्वजनिक उपयोग वाले क्षेत्रों में सुविधाओं की कुल मूल्य की धनराशि प्राप्त कर ली है।
2. यह है कि एतद् द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति को क्रेता केवल आवासीय प्रयोग में लायेगा व आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त उसका कोई अन्य रूप में उपयोग या प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा।
3. यह कि क्रेता को एतद् द्वारा बेची गई सम्पत्ति (फिलैट) वाले इमारत की बाहर की दीवारों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विक्रय किए गये फ्लैट के इमारत के नीचे वाली जमीन यानी कि जिस पर टावर खड़ा है उसमें विक्रेता का कोई अधिकार, हित या स्वत्व नहीं होगा क्रेता के ऐसे समस्त अधिकार विक्रेता के अन्य फिलैट धारकों के साथ संयुक्त रूप से सामूहिक तौर पर किसी भी स्थिति में अविभाजनीय होंगे।
4. यह कि क्रेता को भूतल पर खुली जमीन या उस पर बने हुए जीना/लिफ्ट व वाहन पार्किंग वाले स्थान पर आने जाने के सुखाधिकार के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य कोई स्वत्व व

अधिकार नहीं होगा और न क्रेता टावर के मूल ढाँचे में या उसके फर्श, छत बीम व कॉलम में पूर्णतया भागतया कोई परिवर्तन कमी या बढ़ोत्तरी करने का अधिकारी होगा टावर के विभिन्न तलों को जाने वाला जीना/लिफ्ट आदि समस्त फ्लैट धारकों को जो उक्त टावर के सदस्य हैं, के द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग में लाने के लिए सर्वथा उपलब्ध होगा जिसमें कि किसी आवंटी धारक का कोई निजी अधिकार, स्वत्व व हित नहीं होगा और न ही कोई भी सदस्य अन्य फ्लैट धारक के द्वारा उपयोग किये जाने वाले सार्वजनिक उपयोग से सम्बन्धित सुख साधनों में कोई बाधा या व्यवधान या परेशानी पैदा करेगा बल्कि केता द्वारा परिशिष्ट ब में वर्णित क्षेत्रों व समस्त सार्वजनिक उपयोग वाली सुविधाओं का प्रयोग सामूहिक रूप से बिना किसी व्यवधान के किया जायेगा।

5. यह कि केता को इस विक्रय पत्र से बेचे गये फ्लैट के अंदर कौलम आदि में किसी प्रकार का निर्माण तोड़-फोड़ आदि कराने का अधिकार नहीं होगा। एतद् द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति में आन्तरिक साज-सज्जा जो कि पूर्णतया अस्थाई प्रकृति की हो, कराई जा सकेगी जिसके लिए केता स्वतन्त्र है उदाहरणार्थ आन्तरिक विभाजन के लिए लकड़ी का प्लाईबोर्ड आदि का लगाया जाना। क्रेता द्वारा कोई भी कार्य या ऐसा निर्माण नहीं कराया जावेगा जिससे कि टावर के ढाँचे या उसके किसी कॉलम में या उसकी छत या फर्श में कोई आमूल परिवर्तन पूर्णतया या भागतया शामिल हो, जो कि निर्माण की समग्रता, सौम्यता व स्थिरता को किसी भी रूप में विपरीत रूप से प्रभावित करता हो।
6. यह कि बहुमंजिला भवन के भूतल पर केता का प्रथक रूप से कोई स्वामित्व, हित व अधिकार नहीं होगा बल्कि समस्त फ्लैट धारकों को अविभाजित सामूहिक स्वामित्व अधिकार व हित होगा।
7. यह कि एतद्द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति को सुरक्षित एवं सही रूप में उसका रखरखाव, सुरक्षा, मरम्मत, सफाई व सुगम अनवरोधित संचालन क्रेता द्वितीय पक्ष अन्य धारकों के साथ मिलकर एशोसियेशन के द्वारा सामूहिक व्यय पर करायेगा एवं विक्रय की हुई सम्पत्ति के बाहरी भाग पर वही रंग करायेगा जो अपार्टमेन्ट के अन्य सदस्यों के द्वारा सामूहिक तौर पर अभिनिश्चित हो। केता को एशोसियेशन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और रखरखाव का मासिक व्यय अनिवार्य रूप से केता को देना होगा चाहे उसमें क्रेता सदस्य निवास कर रहा है अथवा नहीं। केता हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर, इलैक्ट्रिक चार्ज व अन्य शुल्क सम्बन्धित सरकारी विभाग को अदा करेगा तथा क्रेता को उक्त फ्लैट को विक्रय करने से पूर्व विक्रेता की एन.ओ.सी. लेना आवश्यक होगा।
8. यह कि केता अपने व्यय पर टेलीफोन डिस्क या तदसमरूप अन्य कोई कनेक्शन लगा सकेगा। परन्तु अन्य किसी प्रकार के ऐसे कनेक्शन या सुविधा का उपयोग जिसमें कि इमारत के किसी प्रकार दीवार ढाँचे या कॉलम में तोड़-फोड़ करना शामिल हो प्राप्त करने का केता और अन्य किसी भी व्यक्तिको कोई अधिकार नहीं होगा।
9. यह कि केता द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति के अंदर किसी ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ (सिवाय रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली कुकिंग गैस जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर) रखने का अधिकार नहीं होगा और न ही किसी ऐसे कार्य को केता अंजाम देगा जो कि किसी भी प्रकार से भवन के मजबूतीपन या निर्माण व अन्य सदस्यों के लिए हानिप्रद हो। यदि क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि अन्य सदस्यों को असुविधा हो या बिल्डिंग को किसी रूप में प्रभावित करता हो, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व जवाबदेही व क्षति की कीमत, क्षतिपूर्ति व मुआवजा सिर्फ क्रेता मात्र की होगी।
10. यह कि वाहन पार्किंग के लिये भूतल पर पार्किंग का प्राविधान है। क्रेता विक्रेता द्वारा आवंटित नियत स्थान पर ही अपने वाहन की पार्किंग कर सकेगा।

11. यह कि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र व सुविधाओं का प्रयोग सामूहिक रूप से ही प्रत्येक क्रेता के द्वारा किया जा सकेगा उसमें किसी भी क्रेता का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि क्रेता बहुमंजिली भवन की सुरक्षा आदि के लिए संयुक्तरूप से फायर ब्रिगेड एवं जनरल इन्श्योरेन्स कराने के लिए अनिवार्यतः बाध्य व आबद्धकारी है जिसकी प्रीमियम राशि समानुपातिक रूप से प्रत्येक एलौटी के द्वारा देय होगी।
13. यह कि क्रेता को पूरा अधिकार है कि उक्त विक्रय शुदा सम्पत्ति से पूर्ण स्वामी के रूप में जैसे चाहे लाभान्वित होवे और सामूहिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पानी, बिजली, जनरेटर, टेलीफोन, सीवर आदि का उपयोग करें व उसके रखरखाव का चार्ज समय-समय पर सम्बन्धित सरकारी विभाग या रखरखाव हेतु बनाई गई एसोसियेशन को करना अनिवार्य होगा यदि क्रेता द्वारा सामूहिक सुविधाओं को चार्ज अदा नहीं किया जाता है तो समिति को उसकी सुविधा समाप्त करने का अधिकार होगा तथा अवशेष धनराशि मय ब्याज के वसूल की जा सकेगी।
14. यह है कि छत पर क्रेता का कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा और न ही कोई होर्डिंग, विज्ञापन आदि लगाने का अधिकार होगा।
15. यह कि क्रेता को, जो खुला क्षेत्रफल आवंटित किया गया है व जो वर्तमान निर्माण है व जिसकी ऊँचाई फर्श तल से 9 फुट 8 इंच है व जो इस विक्रय पत्र में संलग्न मानचित्र में आकार दिखाते हुए वर्णित किया गया है, पर ही अधिकार व स्वत्व प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त क्रेता को सार्वजनिक उपभोग वाले क्षेत्रों व सुविधाओं के अविभाजित संयुक्त अधिकार व स्वत्व प्राप्त होंगे।
16. यह कि विक्रय की हुई सम्पत्ति हर प्रकार के चार्ज व वार किफालत देनदारी बंधक आदि से कतई پاک व साफ है। यदि स्वामित्व व आधिपत्य में कोई कमी पायी जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व प्रथम पक्ष विक्रेतागण का है।
17. यह कि उक्त सम्पत्ति (फ्लैट) का विक्रय क्रेता एवं विक्रेता के मध्य हुए संविदा में निहित शर्तों, दायित्वों एवं अधिकारों के अधीन है जिस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रेता वचनबद्ध है। उक्त सभी शर्तें, दायित्व एवं अधिकार इस विक्रय पत्र के अंग माने जायेंगे।
18. यह कि इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तें क्रेता व उसके उत्तराधिकारियों, समानुदेशियों तथा स्थानापन्नो (किरायेदार) पर समान रूप से आबद्धकारी एवं प्रभावकारी होगी।
19. यह कि किसी देवीय आपदा या प्राकृतिक प्रकोप से यदि बहुमंजिला भवन को कोई क्षति या नुकसान पहुंचता है तो बहुमंजिला भवन के समस्त धारक सामूहिक तौर पर, अपरिहार्य रूप से कुल लागत के समानुपात में पुनः निर्माण के लिए अपने क्षेत्रफल के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे तथा एतद् विषयक खर्चा क्रेतागण द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जायेगा।
20. यह है कि इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों के अलावा उ0प्र0 ओनरशिप ऑफ फिलेट्स एक्ट 1975 तथा उ0प्र0 ओनरशिप ऑफ फिलेट्स रूल्स 1984 के प्राविधान क्रेता पर समान रूप से लागू होंगे।
21. यह कि उक्त फ्लैट का कर निर्धारण नगर निगम में नहीं कराया गया है, जिसके निर्धारण के पश्चात् क्रेता जो भी कर निर्धारित होंगे देने के लिये प्रतिबंधित रहेगा तथा समय-समय पर जो भी प्रशासनिक दायित्व होंगे उनको पूर्ण करेगा।

परिशिष्ट 'अ'

एक किता फ्लैट नं0 जो तल का है जो चारो दीवारों से घिरा है वाकै कैलाश टावर, मौजा ककरैठा, तहसील व जिला आगरा जो खसरा नं0 356 में से है। उक्त फ्लैट का बिल्डअप ऐरिया वर्ग मीटर है जो कुल कवर्ड है जो साथ लगे नक्शे में व रंगलाल से जाहिर किया गया है निम्न सीमांकित—

पूरब —
 पश्चिम —
 उत्तर —
 दक्षिण —

परिशिष्ट 'ब'

सार्वजनिक उपयोग में आने वाले क्षेत्रों व सुविधाओं का विवरण जो इस विक्रय किए गये फिलेट से अविभाजित रूप से संलग्न है।

1. यह कि कैलाश टावर के मुख्य भवन के नीचे की भूमि विक्रय किए गए फिलेट में आने वाले मार्ग लिफ्ट, सीढ़ियों पार्क व अन्य खुले सार्वजनिक स्थान व सामान्य सार्वजनिक निर्माण स्थल।
 2. यह कि पानी बिजली पावर की आपूर्ति के लिए लगाये गये जनरेटर, पानीकी टंकी, ट्रांसफार्मर सबमर्सिबल पम्प व समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक उपकरणों का सामान्य उपयोग।
- तहसील वसूलयावी जरेसमन इस प्रकार है:-

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक का नाम

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख ई० व मसौदा दिनेश कुमार बंसल, दस्तावेज लेख तहसील सदर, आगरा ने फरीकेन के कथनानुसार टाईप कराया।

गवाह :-

गवाह :-